

निर्णय बड़जलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

मु.नं - 10/2024

प्रकरण संख्या 43/2024 (धारा 14 सिक्वोरिटार्इजेशन)

GCMsNo - 2024/180

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा शहर सवाई माधोपुर।

.....प्राथी

श्री शेर सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह निवासी अडगेला पोस्ट जडावता जिला सवाई माधोपुरअप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

--: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.08.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री शेर सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह निवासी अडगेला पोस्ट जडावता जिला सवाई माधोपुर के स्वामित्व की चल सम्पत्ति चार पहिया वाहन TOYOTA GLANZA G PETROL MT वाहन संख्या RJ25 CE1327 चेचिस नम्बर MBHJWC13SNH218131 इंजन नम्बर K12NP7106408 निर्माता TOYOTA KIRLOSKAR MOTORS PVT LTD को हाईपोथिकेट कर कुल राशि 9,72,000 (नौ लाख बहत्तर हजार रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्राथी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्राथी बैंक द्वारा दिनांक 18.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्राथी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्राथी बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेट चल सम्पत्ति चार पहिया वाहन TOYOTA GLANZA G PETROL MT वाहन संख्या RJ25 CE1327 चेचिस नम्बर MBHJWC13SNH218131 इंजन नम्बर K12NP7106408 निर्माता TOYOTA KIRLOSKAR MOTORS PVT LTD का भौतिक रूप से कब्जा प्राथी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्राथी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 30-12-24 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

